न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 229 सन 2020

अनवान :–

1. साहबराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन टिडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हरिसिह पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन टिडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामकुमार पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन टिडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. मोहरी पत्नी पन्नाराम जाति जाट साकिन टिडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. कमा पुत्री पन्नाराम पत्नी रामकरण पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन बनियाला तहसील तारानगर जिला चुरू
5. माली पुत्री पन्नाराम पत्नी लक्ष्मीनारायण पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. मोहनी पुत्री पन्नाराम पत्नी केसराराम पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
7. रजा पुत्री पन्नाराम पत्नी कृष्ण पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन बनियाला तहसील तारानगर जिला चुरू
8. चुकि पुत्री पन्नाराम पत्नी हुणताराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन बनियाला तहसील तारानगर जिला चरू।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

परोकार राज

निर्णय दिनांक :– 11/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 103/102 के खसरा न0 259/1 की 10.2050 , खसरा न0 261/1 की 4.2490हैक कुल 14.4540हैक भूमि वादी के दादा जैसाराम पुत्र चौलाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद वादी के पिता पन्नाराम पुत्र जेसाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है।

वादी की पिता पन्नाराम पुत्र जैसाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो पन्नाराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान है पन्नाराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 वादी की माता/बहने जिन्होने अपने हक हिस्सा की की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने रोही मौजा टिडियासर की भूमि रख कर वाद भूमि में अपने हक हिस्सा का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि जो पन्नाराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की पन्नाराम पुत्र जेसाराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने निवेदन किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी के पिता पन्नाराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है पन्नाराम पुत्र जैसाराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो पन्नाराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज भूमि के बहिब के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ,जो वादी की माता बहन है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने रोही मौजा टिडियासर की भूमि रख कर वाद भूमि में अपने हक हिस्सा का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला जवाब दावा पेश किया गया। ईकबाल जबाब दावा शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 103/102 के खसरा न0 259/1 की 10.2050 , खसरा न0 261/1 की 4.2490हैक कुल 14.4540हैक भूमि वादी के दादा जैसाराम पुत्र चौलाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद वादी के पिता पन्नाराम पुत्र जेसाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है।

वादी की पिता पन्नाराम पुत्र जेसाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो पन्नाराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान है पन्नाराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 वादी की माता/बहने जिन्होने अपने हक हिस्सा की की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है प्रतिवादी संख्या 2 ने रोही मौजा टिडियासर की भूमि रख कर वाद भूमि में अपने हक हिस्सा का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि जो पन्नाराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 103/102 के खसरा न0 259/1 की 10.2050 , खसरा न0 261/1 की 4.2490हैक्ट कुल 14.4540हैक्ट भूमि वादी के पिता पन्नाराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज है

वादी का कथन है वादी की पिता पन्नाराम पुत्र जैसाराम का देहान्त हो चुका है पन्नाराम पुत्र जैसाराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो पन्नाराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज भूमि को बहिब हकदार है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मृत्यू एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टी होती है। अर्थात वाद भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जायज हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 स्वय न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने रोही मौजा टिडियासर की भूमि रख कर वाद भूमि में अपने हक हिस्सा का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 103/102 के खसरा न0 259/1 की 10.2050 , खसरा न0 261/1 की 4.2490हैक्ट कुल 14.4540हैक्ट भूमि वादी के पिता पन्नाराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनों को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. साहबराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन टिडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1 हरिसिंह पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन टिडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन टिडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. मोहरी पत्नी पन्नाराम जाति जाट साकिन टिडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. कमा पुत्री पन्नाराम पत्नी रामकरण पुत्र गणपत जाति जाट साकिन बनियाला तहसील तारानगर जिला चुरू
5. माली पुत्री पन्नाराम पत्नी लक्ष्मीनारायण पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
6. मोहनी पुत्री पन्नाराम पत्नी केसाराम पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
7. रजा पुत्री पन्नाराम पत्नी कृष्ण पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन बनियाला तहसील तारानगर जिला चुरू
8. चुकि पुत्री पन्नाराम पत्नी डुणताराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन बनियाला तहसील तारानगर जिला चरू।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 229 सन 2020 निर्णय दिनांक– 11/08/2020

आज यह वाद सुश्री श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 103/102 के खसरा न0 259/1 की 10.2050 , खसरा न0 261/1 की 4. 2490हैक कुल 14.4540हैक भूमि वादी के पिता पन्नाराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ~~तीनों~~ को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner